

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] दिल्ली, जून 17—जून 23, 2011, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 27—आषाढ़ 2, 1933 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 70,73]
No. 24] DELHI, JUNE 17—JUNE 23, 2011, THURSDAY/JYAISTHA 27—ASADHA 2, 1933 [N.C.T.D. No. 70,73]

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2011

सं. पी.बी./डी.सी.आई./ (डी.एस.आई.आई.डी.सी)/116/पार्ट-ए./2005-2006/सी.आई./158.—दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के ज्ञापन व नियमावली की धारा 53 (2) एवं 53 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री प्रहलाद सिंह साहनी माननीय विधायक के स्थान पर श्री नन्द किशोर, माननीय विधायक को 10 जून, 2011 से दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्त करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चेतन बी सांधी, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2011

No. PB/DCI/DSI IDC/116/Part.A/2005-2006/CI/158.—In exercise of the powers vested in him under Article 53(2) and 53(4) of the Articles of Association of Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd., the Lieutenant Governor of Delhi is pleased to appoint Sh. Nand Kishore, Hon'ble MLA as a Director on the Board of DSI IDC in place of Sh. Prahlad Singh Sawhney, Hon'ble MLA, with effect from June, 10, 2011.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of NCT Delhi,

CHETAN B. SANGHI, Secy.-cum-Commissioner
(Industries)

आदेश

दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. फा.10 (1909)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13030.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फ्लोवेल एनर्जी प्रा. लि., एम-27, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,96,70,204 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4850001 से 6117410 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,671 (रुपये उन्नीस हजार छः सौ इक्कहत्तर केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 3rd June, 2011

F. No. 10(1909)/COS/(HQ/Cons. Duty/13030.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Flovel Energy Pvt. Ltd., M-27, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,671 (Rupees nineteen thousand six hundred seventy one only) on the aggregate value of shares of ₹ 1,96,70,204 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 4850001 to 6117410 to be issued by the said company.

दिल्ली, 13 जून, 2011

सं. फा.10 (1904)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13430.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्डियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि., एलजीएफ, एफ-8, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या RP 1 से RP 500000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,00,000 (रुपये पाँच लाख केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1904)/COS/(HQ/Cons. Duty/13430.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indian Hydro Electric Power Pvt. Ltd., LGF, F-8, Kalkaji, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,00,000 (Rupees five lakh only) on the aggregate value of shares of ₹ 50,00,00,000 for issue of preference shares bearing distinctive Nos. RP 1 to RP 500000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 16 जून, 2011

सं. फा.10 (1849)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13551.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गेट इन्फो सिस्टम्स प्रा. लि., 192-बी, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली-110062 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 2510000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,000 (रुपये पच्चीस हजार केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 16th June, 2011

F. No. 10 (1849)/COS/(HQ/Cons. Duty/13551.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Get Info Systems Pvt. Ltd., 192-B, Sainik Farms, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹ 2,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 2510000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 जून, 2011

सं. फा.10 (1921)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13609.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जयसी ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि., ए-40, मोहन कॉर्पोरेट इण्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 96,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3000001 से

3096000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,600 (रुपये नौ हजार छः सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th June, 2011

F. No. 10(1921)/COS/(HQ/Cons. Duty/13609.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jaycee Automobiles Pvt. Ltd., A-40, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,600 (Rupees nine thousand six hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 96,00,000 for issue of equity shares of bearing distinctive No. 3000001 to 3096000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 21 जून, 2011

सं. फा.10 (1927)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13614.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इरोज कन्सट्रक्शन्स प्रा. लि., आठवीं मंजिल, इरोज कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 260001 से 7760000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 75,000 (रुपये पचहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 21st June, 2011

F. No. 10(1927)/COS/(HQ/Cons. Duty/13614.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eros Constructions Pvt. Ltd., 8th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 75,000 (Rupees Seventy Five Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 260001 to 7760000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1926)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13619.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि

सर्वश्री आइएनटीएआरवीओ टेक्नोलॉजीज लि., बी-81, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,12,50,822 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या P 5651904 से P 6776620 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 71,251 (रुपये इक्कहत्तर हजार दो सौ इक्यावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1926)/COS/(HQ/Cons. Duty/13619.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Intarvo Technologies Ltd., B-81, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 71,251 (Rupees Seventy One Thousand Two Hundred Fifty One) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,12,50,822 for issue of preference shares of bearing distinctive No. P 5651904 to P 6776620 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1881)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13623.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फिबकॉम इण्डिया लि., एलजीएफ-84, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 19,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 3800000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,90,000 (रुपये एक लाख नब्बे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1881)/COS/(HQ/Cons. Duty/13623.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fibcom India Limited, LGF-84, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,90,000 (Rupees one lakh ninety thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 19,00,00,000 for issue of preference shares bearing distinctive No. 01 to 3800000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1920)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./ 13625.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी

निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीएसए इण्डिया फूड इण्प्रोडेन्स प्रा. लि., 298, मंदाकिनी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 44,62,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3139204 से 3585403 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,462 (रुपये चार हजार चार सौ बासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1920)/COS/(HQ/Cons. Duty/13625.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BSA India Food Ingredients Pvt. Ltd., 298, Mandakini Enclave, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,462 (Rupees four thousand four hundred sixty two) only on the aggregate value of shares of ₹ 44,62,000 for issue equity shares of bearing with distinctive No. 3139204 to 35,85,403 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1923)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13628.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व निबंधक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्रौसले रिमिडीज लि., ए-14, पुष्पांजली, विकास मार्ग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,30,03,150 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या CC0, 25,60,451 से CC0 48,60,765 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 23,004 (रुपये तेइस हजार चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1923)/COS/(HQ/Cons. Duty/13628.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay Remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, New Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 23,004 (Rupees twenty three thousand four) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,30,03,150 for issue of preference shares of bearing with distinctive No. CC0, 25,60,451 to CC0, 48,60,765 and to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1924)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13629.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व निबंधक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि

सर्वश्री क्रौसले रिमिडीज लि., ए-14, पुष्पांजली, विकास मार्ग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 8,66,89,640 मूल्य के इक्विटी एवं प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,00,00,001 से 6,41,50,000 CC/C00,00,001 से CCC00 44,98,964 और RC0, 18,00,001 से RC0,18,20,00 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 86,690 (रुपये छियासी हजार छः सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1924)/COS/(HQ/Cons. Duty/13629.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay Remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, New Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 86,690 (Rupees eighty six thousand six hundred ninety only) on the aggregate value of shares of ₹ 8,66,89,640 for issue of equity and preference shares of bearing distinctive Nos. 60000001 to 64150000, CC/C00000001 to CC/C004498964 and RC01800001 to RC01820000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 22 जून, 2011

सं. फा.10 (1879)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13667.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व निबंधक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेफको इण्डिया प्रा. लि., 1-ए, वन्दना-11, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,96,98,262 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 4602174 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 59,699 (रुपये उन्सठ हजार छः सौ नित्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 22nd June, 2011

F. No. 10(1879)/COS/(HQ/Cons. Duty/13667.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Zafco India Pvt. Ltd., 1A, Vandhna 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 59,699 (Rupees fifty nine thousand six hundred ninety nine only) on the aggregate value of shares of ₹ 5,96,98,262 for issue of equity shares bearing distinctive No. 10001 to 4602174 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1812)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13668.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हैरिस कम्युनिकेशन्स इण्टरनेशनल इण्डिया प्रा. लि., बी-58, फ्रेन्ड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 40,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 35001 से 1,35,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4000 (रुपये चार हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1812)/COS/(HQ/Cons. Duty/13668.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Harris Communications International India Pvt. Ltd., B-58, Friends Colony (West), New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,000 (Rupees four Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹ 40,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 35001 to 135000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1813)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13669.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हैरिस कम्युनिकेशन्स इण्टरनेशनल इण्डिया प्रा. लि., बी-58, फ्रेन्ड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 35,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 900 (रुपये नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1813)/COS/(HQ/Cons. Duty/13669.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Harris Communications International India Pvt. Ltd., B-58, Friends Colony (West), New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 900 (Rupees Nine Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹ 9,00,000/- for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 35,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1919)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13670.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्टरनेशनल ग्रीन स्केप्स लि., बी-16, पहली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 755914 से 16,55,913 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 90,000 (रुपये नब्बे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1919)/COS/(HQ/Cons. Duty/13670.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. International Green Scapes Ltd., B-16, 1st Floor, South Extension-I, Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 90,000 (Rupees ninety thousand only) on the aggregate value of shares of ₹ 9,00,00,000 for issue of equity shares of bearing distinctive No. 755914 to 1655913 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1922)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13671.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना एनर्जी वेन्चर्स प्रा. लि., हॉल नं.-1, पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15-भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 74,60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 57,41,50,001 से 54,87,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 7,46,000 (रुपये सात लाख छियालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1922)/COS/(HQ/Cons. Duty/13671.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Athena Energy Ventures Pvt. Ltd., Hall No.-1, First Floor, NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 7,46,000 (Rupees seven lakh forty six thousand only) on the aggregate value of shares of ₹ 74,60,00,000 for equity shares of bearing distinctive No. 57,41,50,001 to 64,87,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1925)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./
13672.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री टुडे होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., स्टेट्समैन हाउस,
आठवीं मंजिल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए
जाने वाले ₹ 1,07,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 3,70,94,701 से 4,77,94,700 है, पर लगाने वाले मुद्रांक
शुल्क ₹ 10,70,000 (रुपये दस लाख सत्तर हजार केवल) के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1925)/COS/(HQ/Cons. Duty/13672.—In
exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-
section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.
2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of
Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the
24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue
Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Homes
and Infrastructure Pvt. Ltd., Statesman House, 8th Floor,
Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a
consolidated stamp duty of ₹ 10,70,000 (Rupees ten lakh
seventy thousand only) on the aggregate value of shares
of ₹ 1,07,00,00,000 for issue of equity shares of bearing
distinctive No. 37094701 to 47794700 to be issued by the
said company.

By Order of
Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R. K. MISHRA, Special Inspector General (Registration)